मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वलभ भवन, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक **11-11-2025**

क्र. **F 3/1/2/0455/2025-Admin1-PCCF::** राज्य शासन के आदेश दिनांक **17/06/2025** द्वारा श्री कैलाश जोशी, उप वनमण्डलाधिकारी, महू (सा.) इन्दौर (सा.) वनमण्डल को स्थानांतरित कर सहायक वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त रीवा में पदस्थ किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री जोशी द्वारा मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में या.क्र. **23725/2025** दायर की गई है, जिसमें मान, न्यायालय द्वारा दिनांक **25/06/2025** को निर्णय पारित कर श्री जोशी को एक सप्ताह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

**2/** उक्त निर्देश के अनुक्रम में श्री जोशी द्वारा दिनांक **28/06/2025** को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने उनकी पत्नी एवं वृद्ध माताजी की बीमारी का इलाज इन्दौर में चलने एवं हर माह चेकअप की आवश्यकता होने के पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन हेतु उनका उप वनमण्डलाधिकारी, महू (सामान्य) वनमण्डल, इन्दौर से लगभग **700** कि.मी. दूर सामाजिक वानिकी वृत्त रीवा किया गया स्थानांतरण आदेश में संशोधन करते हुए इन्दौर वृत्त के अन्तर्गत उप प्रबंधक, तेन्दूपत्ता वृत्त इन्दौर या संलग्नाधिकारी इन्दौर वनमण्डल कार्यालय इन्दौर या संलग्नाधिकारी वृत्त कार्यालय इन्दौर या सहायक वन संरक्षक, काष्ठागार रालामण्डल, इन्दौर वनमण्डल में से किसी भी एक स्थान पर स्थानांतरण करने हेतु अनुरोध किया है। श्री जोशी द्वारा निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-एक में अभ्यावेदन भी संलग्न किया गया है, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया है कि स्थानांतरण नीति की कण्डिका क्र. **21** एवं **27** का उल्लंघन हुआ है।

**3/** प्रकरण के परीक्षण में पाया है कि श्री कैलाश चन्द्र जोशी, सहायक वन संरक्षक का गृह जिला इन्दौर है, अतएव वनमण्डल इन्दौर के अंतर्गत पुनः श्री जोशी को पदस्थ नहीं किया जा सकता है। श्री जोशी को स्थानांतरित कर सामाजिक वानिकी वृत्त रीवा में पदस्थ किया गया है, चूंकि रीवा में भी मेडिकल कालेज होने से इलाज की सुविधाए है, जहाँ वह परिवार के सदस्यो का इलाज करा सकते हैं. श्री जोशी को उप वनमण्डलाधिकारी, महू (सा.) इन्दौर (सा.) के पद पर पदस्थापना पर **03** वर्ष से अधिक अवधि हो गई है तथा

प्रशासकीय आवश्यकता के आधार पर इनका स्थानांतरण सहायक वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त रीवा के पद पर किया गया है.

**4/** सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक **29** मई, **2025** द्वारा जारी स्थानांतरण नीति राज्य वन सेवा अधिकारियों पर लागू नहीं है। श्री जोशी राज्य वन सेवा के अधिकारी होकर प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं। अतः स्थानांतरण नीति की कण्डिका **21** एवं **27** के उल्लंघन का प्रश्न निहित नहीं है।

अत: राज्य शासन एतद्द्वारा समग्र विचारोपरांत श्री कैलाश चन्द्र जोशी, सहायक वन संरक्षक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक **28/06/2025** अमान्य कर नस्तीबद्ध करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Satyendra Prasad Singh
Date: 11-11-2025
15:55:26

**UNDER SECRETARY**

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्र. **F 3/1/2/0455/2025-Admin1-PCCF** भोपाल, दिनांक **11-11-2025**

प्रतिलिपि **:-**

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, भोपाल।
3. उप सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव, कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
4. विशेष सहायक, मा. राज्यमंत्री जी, वन विभाग।
5. स्टॉफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. भोपाल।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा-**1**) वन भवन, भोपाल की ओर अग्रेषित श्री कैलाश चन्द्र जोशी, सहायक वन संरक्षक को तत्काल भारमुक्त करे.
8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्यैगिकी) मुख्यालय, वन भवन, भोपाल की ओर विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वनमंडलाधिकारी की ओर अग्रेषित श्री कैलाश चन्द्र जोशी, सहायक वन संरक्षक को तत्काल भारमुक्त करे.
10. प्रभारी अधिकारी, या.क्र. **23725/2025** की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वस्तुस्थिति मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।
11. संबंधित श्री कैलाश चन्द्र जोशी, सहायक वन संरक्षक, तत्काल भारमुक्त होवे.

सही/-

**UNDER SECRETARY**

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग